प्रेस नोट दिनांक 28.09.2023

(1). आज दिनांक 28.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गये।

(2). आज दिनाँक 28.09.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के कब्जे से 15 लीटर कच्ची व 25 क्वार्टर देशी शराब बरामद की ।

(i). **प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री राजेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री बालकिशुन** तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त श्यामलाल पुत्र जयराम निवासी ग्राम अर्जुनपुर दबवा मजरा खंडेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 25 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाले टीमः-

1. उ0नि0 श्री बालकिशुन थाना मऊ
2. आरक्षी मनीष यादव
3. आरक्षी नागेश कुमार

(ii). चौकी प्रभारी सरैंय श्री हारून रशीद खान तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त धनपत प्रजापति पुत्र गयादीन प्रजापति निवासी ग्राम खोखला पुरवा मजरा गढ़चपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को 15 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सरैंया श्री हारून रशीद खान
2. आरक्षी दुर्गेश यादव
3. आरक्षी रविशंकर

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह द्वारा दिनाँक 31.08.2023 को महिला से

चैन स्नेचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुये एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक बरामद की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 31.08.2023 को थाना कोतवाली कर्वी अन्तर्गत ऑफिसर्स कलोनी में एक महिला के साथ बाइक सवार 02 अज्ञात व्यक्तियों ने चैन स्नैचिंग की थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 525/2023 धारा 392 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा घटना के संज्ञान लेकर चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह को घटना के शीघ्र खुलाशे हुते निर्देशित किया गया। जांच के क्रम में तकनीकी साक्ष्यों का उपयोग कर चौकी प्रभारी सीतापुर द्वारा दिनांक 28.09.2023 को निर्मोही अखाड़ा के पास से अभियुक्त आमीन पुत्र अली बक्श निवासी लोहिया वार्ड स्टेशन रोड थाना पिपरिया जनपद हौसंगाबाद म0प्र0 को काले रंग के पल्सर मोटरसाइकिल रजि0 MP 05 MW 9438 के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि हमारा 04 लोगों को गैंग है, जिसमें मेरे एक साथी का नाम हाफिज हुसैन पुत्र कमल हुसैन जाफरी निवासी तबह हुसैन कलोनी थाना पिपरिया जनपद हौसंगाबाद म0प्र, दूसरे साथ का नाम मासल्ला जाफरी पुत्र सयैद अनवर अली जाफरी निवासी मकान नं0 400/3 गली नं0 02 विनोवा वार्ड इरानी मुहल्ला थाना पिपरिया जनपद हौसंगाबाद म0प्र0 तथा तीसरे का नाम सैफू अली पुत्र खान अली निवासी मकान नं0 31 इतवारा बाजार इदानी मुहल्ला थाना पिपरिया जनपद हौसंगाबाद म0प्र0 है। हम चारों 02 मोटरसाइकिलों से चलते हैं, हमारे दो साथी एक मोटरसाइकिल से आगे-आगे चलकर घटना रैकी करते हैं तथा हम दो लोग घटना कारित करते हैं। दिनाँक 31.08.2023 को हम लोगों ने जो चैन स्नैचिंग की घटना की थी उसमें हम चारों थे, हम दो लोगों ने चैन स्नैचिंग की थी और हमारे 02 साथी आगे कालोनी के गेट के पास रैकी कर रहे थे, घटना करने के बाद हम लोग यहां से नागौद म0प्र0 चले गये थे और वहां भी चैन स्नैचिंग की घटना की थी, दोनों चैन मेरे साथियों के पास है। बरामदशुदा गाडी को परिवहन एप के माधमय से चैक किया गया तो गाड़ी का नम्बर गलत पाया गया जिसके सम्बन्ध में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि हम पकड़े न जायें इसलिये गाड़ी की नम्बर प्लेट बदल देते हैं यह मोटरसाइकिल हम लोगों ने थाना सौहागपुर जिला हौसंगाबाद म0प्र0 से चोरी की थी। अभियुक्त के कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट की गाड़ी बरामद होने के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/420/467/468/471 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

आमीन पुत्र अली बक्श निवासी लोहिया वार्ड स्टेशन रोड थाना पिपरिया जनपद हौसंगाबाद म0प्र0

बरामदगीः-

काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल बिना कूट रचित रजि0 MP 05 MW 9438

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह
2. आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह

(5). थाना कोतवाली कर्वी पुलिस ने फर्जी आबकारी अधिकारी व फर्जी पत्रकर बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया
वसूली के 10 हजार रुपये, मारुती कार व फर्जी आईडी कार्ड बरामद

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणि त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय के पर्यवेक्षण में चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा फर्जी आबकारी अधिकारी व फर्जी पत्रकर बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये एक महिला सहित 03 अभियुक्तों को वसूली के 10 हजार रुपये, मारुती कार व फर्जी पत्रकार के आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक दिनांक 27.09.2023 को खोही तिराहा स्थित भांग की दुकान के सेल्समैन श्री राघवेंद्र सिंह पुत्र राम सेवक सिंह निवासी शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना कोतवाली

कर्वी में सूचना दी की मारुति कार रजि0 नम्बर UP 32 BD 3207 से एक महिला सहित 03 व्यक्ति आबकारी अधिकारी बनकर उनकी दुकान से 06 साल के लिये जेल भेजने की धमकी देकर ₹10000 ले गये है। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 591/2023 धारा 419,420,170,34 भादवी बनाम 03 व्यक्ति अज्ञात पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी द्वारा घटना का संज्ञान लेकर चौकी प्रभारी खोही परिक्रमा मार्ग को मुकदमें की विवेचना एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग द्वारा अथक प्रयास करते हुए मुखबिर की सूचना पर दिनांक 27.09.2023 को ही बेड़ी पुलिया स्थित शंकर ढ़ाबा से अभियुक्त कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 गंगाबख्श सिंह निवासी दोबहा थाना जगतपुर जनपद रायबरेली 2. मोहम्मद आमिर पुत्र मुईज निवासी 4ए/68 गोमती नगर लखनऊ हाल पता महरीखामा थाना सदर जनपद बस्ती 3. रंजना विश्वकर्मा पुत्री हरिवंश विश्वकर्मा निवासी तिरौला थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर हाल पता 884 सेक्टर इंदिरा नगर लखनऊ को मारुति कार रजि0 नम्बर UP 32 BD 3207, वसूली के 10 हजार रुपये व फर्जी पत्रकार के 02 आईडी कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद मारुती कार को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया तथा वसूली के रुपये बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. कृष्ण कुमार सिंह पुत्र स्व0 गंगाबख्श सिंह निवासी दोबहा थाना जगतपुर जनपद रायबरेली
2. मोहम्मद आमिर पुत्र मुईज निवासी 4ए/68 गोमती नगर लखनऊ हाल पता महरीखामा थाना सदर जनपद बस्ती
3. रंजना विश्वकर्मा पुत्री हरिवंश विश्वकर्मा निवासी तिरौला थाना जंगीपुर जनपद गाजीपुर हाल पता 884 सेक्टर इंदिरा नगर लखनऊ

बरामदगीः-

1. वसूली का 10 हजार रुपये
2. मारुती कार रजि0 नम्बर UP 32 BD 3207
3. फर्जी पत्रकार के 02 आईडी कार्ड

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग श्री प्रवीण कुमार सिंह
2. चौकी प्रभारी सीतापुर श्री श्यामदेव सिंह
3. आरक्षी शिवम मिश्रा
4. आरक्षी अभिषेक प्रताप सिंह

(6). आज दिनाँक 28.09.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर श्री हर्ष पाण्डेय की उपस्थिति में चौकी सीतापुर में नवनिर्मित मेस का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस दौरान महोदया द्वारा चौकी परिसर, कार्यालय एव चौकी प्रभारी कक्ष का भ्रमण कर चौकी प्रभारी सीतापुर को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतावाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पीआरओ श्री गुलाब त्रिपाठी, सोशल मीडिया/साइबर सेल प्रभारी श्री विजय सिंह, चौकी प्रभारी श्री श्यामदेव सिंह एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(7). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 589/2023 धारा 354ख,506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त छोटू पुत्र ननकू निवासी बनवारीपुरी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजीव कुमार सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी संजय पाल